महानिदेशक, सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा

प्रैस कतरनें | दिनांक 2 SEP 2021 | दैनिक हरिभूमि

सीएम ने लॉन्च किया 'आस', कोताही बरतने वाले अफसर नपेंगे

घर-द्वार पर योजनाओं का लाभ मिलेगा, जवाबदेही तय होगी

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶| चंडीगढ़

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को प्रदेश के लोगों को बड़ी राहतें देते हुए कहा कि अब लोगों को सभी जरूरी सेवाएं घर-द्वार पर मिलेंगी। इसके लिए उन्होंने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग और एनआईसी के सहयोग से बनाए गए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर 'आस' का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य लोगों के जीवन का सरल बनाना है, ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इस साफ्टवेयर के जरीये सभी जरूरी सेवाएं घर पर ही प्रदान की जाएंगी। इन सेवाओं के दायरे में आने वाले सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सेवा देने में तय समय से लेट होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने सूचना प्रौद्योगिकी को नए तरीके से परिभाषित करते हुए कहा कि आज के दौर में आईटी की सही परिभाषा इमिजिएट ट्रांसफॉरमेशन यानी तुरंत बदलाव है। हमें हैपिनेस इंडेक्स की तरफ कदम बढ़ाने हैं। आईटी का इस्तेमाल करके 'ईज ऑफ लिविंग' अर्थात प्रदेश के आम आदमी के जीवन में सरलता लाना सरकार का उद्देश्य है।

राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में ये सेवाएं

■ जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ■ डीएल ■ राशन कार्ड ■ पानी-बिजली कनेक्शन

इन सेवाओं के लिए समय तय किया

सेवा	समय
■ नया राशनकार्ड और इंतकाल	15 दिन
■ राशनकार्ड सरेंडर सर्टिफिकेट व डुप्लीकेट राशनकार्ड	07 दिन
■ राशनकार्ड में पता बदलना व जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र	03 दिन
■ एससी/बीसी/ओबीसी, मूल निवास, विमुक्त जाति प्रमाण पत्र	07 दिन
■ आय व ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करना	07 दिन
■ राशन कार्ड में सदस्यों के नाम हटाना/जोड़ना	07 दिन
■ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री	01 दिन
■ लैंड रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस	05 दिन
■ नया बिजली कनेक्शन, अस्थायी बिजली कनेक्शन	30 दिन
■ पेयजल और सीवरेज का कनेक्शन	12 दिन
■ किसी बिल्डिंग का प्लान अनुमोदन	25 दिन
■ स्थायी डीएल, डीएल में नई एंट्री, कंडक्टर का लाइसेंस	07 दिन
■ नए वाहन का रजिस्ट्रेशन, पुराने का मालिकाना हक ट्रांसफर	07 दिन
■ वाहन को अनापत्ति प्रमाण पत्र और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन	07 दिन

(देरी करने वाले कर्मचारी पर जुर्माना लगेगा। हरियाणा सेवा का अधिकार विधेयक-2014 (राइट टू सर्विस एक्ट) पास कर दिया। इसमें 546 सेवाओं को शामिल कर लिया गया है।)

अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जरूरी

सीएम ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसके घर-द्वार पर सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। इस मकसद से यह सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। यह सरकारी सेवाओं की समयबद्ध तरीके से डिलीवरी में मील का पत्थर साबित होगा।

हर कर्मी का मूल्यांकन

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के अंदर काम नहीं करता, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेवा डिलीवरी में कोताही बरतने पर आयोग द्वारा तय की गई सजा पर सख्ती से अमल होना चाहिए। लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी समय से पहले काम कर देते हैं उन्हें रिवार्ड भी मिलना चाहिए। अभी सुशासन दिवस को लगभग 4 महीने बाकी है, इस दौरान हर कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाएगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर एक अच्छी शुरुआत है। इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा।

सभी सेवाएं ऑनलाइन होंगी

इस समय 31 विभागों के 38 संगठनों की 546 अधिसूचित सेवाओं में से 277 सेवाएं अन्त्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन, जबकि 269 सेवाएं ऑफलाइन प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिवों को निर्देश दिए कि बाकी सेवाओं को भी जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए।

दैनिक हरिभूमि